



नालसा (आशा-जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई)
मानक संचालन प्रक्रिया-बाल विवाह से मुक्ति की ओर अग्रसर, 2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
(Constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987)

एस. सी. मुनघाटे
S. C. MUNGHATE
(Principal District Judge)
सदस्य सचिव
MEMBER SECRETARY
(In-charge)

B-Block, Ground Floor,
Administrative Buildings Complex,
Supreme Court of India, New Delhi-110001

Ground Floor, Double Storey,
Jaisalmer House, 26, Mansingh Road,
New Delhi-110011

संदेश

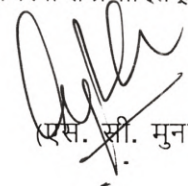
बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं। भारत में दुनिया के लगभग 19% बच्चे रहते हैं। उनके अधिकारों की रक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए अनिवार्यता बन जाती है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर बच्चे कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें से एक प्रमुख चुनौती बाल विवाह की समस्या है।

भारत में बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या होने के साथ-साथ एक अपराध भी है। एक प्रमुख वैश्विक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के एक-तिहाई बाल दुल्हन भारत में हैं, जिससे यह बचपन में विवाह करने वाली महिलाओं और लड़कियों की सबसे अधिक संख्या वाला देश बन जाता है। बाल विवाह बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई पर गंभीर प्रभाव डालता है।

बाल विवाह की समस्या की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपने फैसले में विचार किया है। हाल ही में, "सोसायटी ऑफ एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन बनाम भारत संघ (2024 INSC 790)" मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने, पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः स्थापित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय के अनुपालन में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने "NALSA ASHA (अवेयरनेस, सपोर्ट, हेल्प एंड एक्शन) मानक संचालन प्रक्रिया -2025" तैयार किया। यह मानक संचालन प्रक्रिया बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करने का लक्ष्य रखता है।

यह एक मानकीकृत, प्रभावी और कानूनी रूप से मजबूत दृष्टिकोण स्थापित करता है, जो बाल विवाह की रोकथाम, बच्चों के अधिकारों की रक्षा और समुदायों के भीतर जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। यह हितधारकों के बीच जवाबदेही और समन्वय को बढ़ाकर कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है और प्रभावित व्यक्तियों को व्यापक समर्थन प्रदान करता है।

आशा है कि "आशा" वास्तव में उन लोगों के लिए उम्मीद लेकर आएगी जो इस समस्या से प्रभावित हैं और उन्हें अपना भविष्य फिर से संवारने का अवसर प्रदान करेगी।


(एस. सी. मुनघाटे)

क्रम सूची

बाल विवाह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	पृष्ठभूमि	7
2.	मानक संचालन प्रक्रिया के उद्देश्य	9
3.	परिभाषा	10
4.	आशा (जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई) इकाई। (ASHA Unit)	11
5.	पैनल वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के लिए दिशानिर्देश	12
6.	बाल विवाह की रोकथाम	14
7.	पुनर्वास	17
8.	अनुपालन तंत्र एवं मानक संचालन प्रक्रिया के प्रभाव के मूल्यांकन	19

1. पृष्ठभूमि

1. भारत में बाल विवाह एक सामाजिक संकट के साथ-साथ एक अपराध भी है। 2023¹ की संयुक्त राष्ट्र चिल्ड्रन फंड (यूनिसेफ) की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत दुनिया के तीन बाल विवाह में से एक के लिए जिम्मेदार है। भारत में बचपन में शादी करने वाली लड़कियों और महिलाओं का बड़ा समूह है। यूनिसेफ के अनुसार, 20 से 24 वर्ष के उम्र के बीच लगभग 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष के उम्र (ग्रामीण क्षेत्रों में 27% और शहरी क्षेत्रों में 14% से पहले हुई थी।²
2. यूनिसेफ की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बाल दुल्हनों में वें लड़कियां शामिल हैं, जो 18 की उम्र से पहले शादी करती हैं एवं वें महिलाएं हैं जिनकी शादी बच्चों के रूप में की गई थी। स्थानीय रीति-रिवाजों और सामुदायिक संरचना से प्रभावित, भारत में बाल विवाह की व्यापकता अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, लक्षद्वीप में 1% की तुलना में, पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में 18 साल की उम्र से पहले कम से कम 40 प्रतिशत युवा महिलाओं की शादी हुई थी।³
3. बाल विवाह के कारण बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य में कई मुश्किलें आती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की, बाल दुल्हनों (चाइल्ड ब्राइड्स) के मुद्दे से निपटने वाली एक रिपोर्ट में, पाया गया कि दुनिया भर में 11% जन्म किशोरों में है, लेकिन वे कुल बीमारियों के बोझ का 23% हैं। इसलिए, एक बाल दुल्हन एक वयस्क महिला की तुलना में स्वास्थ्य समस्याओं से दोगुना प्रभावित होती है।⁴ इसके अलावा, एक अन्य प्रमुख वैश्विक संगठन, विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि बाल विवाह समय से पहले प्रसव का प्रमुख कारक है, जिसमें 25 देशों के एक आकलन के साथ यह दिखाया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के 84 प्रतिशत माताओं को बच्चे के रूप में शादी की गई थी।⁵

¹ Ending Child Marriage: A profile of progress in India (UNICEF 2023) <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india-2023/> (Last accessed 20.12.2024)

² Ibid

³ Ibid

⁴ World Health Organisation Report on “Early Marriages, Adolescent and Young Pregnancies”, Sixty-Fifth World Health Assembly (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha65/a65_13-en.pdf) (Last accessed 20.12.2024).

⁵ Helene Gayle, John Hammergren, Her Health, Her Lifetime, Her World Unlocking the Potential of Adolescent Girls and Young Women Centre for Strategic & International Studies https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170317_Gayle_UnlockingThePotential_Web.pdf (Last accessed 20.12.2024).

4. 2011 की जनगणना के मुताबिक 10–19 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 17 मिलियन बच्चों की शादी भारत में हुई थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019–21 (एनएचएफएस) का यह अनुमान है कि 20–24 वर्ष की आयु की 23.3 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हुई थी।⁶ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की एक हालिया रिपोर्ट ने 11.4 लाख से अधिक बच्चे पहचान की है, जो बाल विवाह के प्रति संवेदनशील हैं।⁷
5. सुप्रीम कोर्ट ने इसे जरूरी विषय मानते हुए अपने निर्णयों में बाल विवाह के मुद्दे पर चर्चा की है। इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया⁸ के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह के कुप्रभाव को पहचाना और यह माना कि बाल विवाह ने, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सहित, जीवन के सभी पहलुओं में लड़कियों को समानता से वंचित कर दिया है।
6. हाल ही में, सोसाइटी ऑफ एनलाइटेनमेंट एंड वोलंटरी एक्शन बनाम भारत सरकार⁹ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह के रोकथाम, बचाव एवं पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं। भाग IX में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया:

“राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यह मानक संचालन प्रक्रिया कानूनी सहायता सेवाओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करेगी और वकीलों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए बाल विवाह के पीड़ितों की रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाएं को भी शामिल करेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को आगे सभी राज्यों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को इस मानक संचालन प्रक्रिया को भेजने के लिए निर्देशित किया गया है, जहां यह पीड़ितों की सहायता कर सकता है।” (जोर दिया गया)

7. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश की अनुपालना करते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल विवाह के रोकथाम, संरक्षण एवं पीड़ितों के पुनर्वास के लिए इस मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को तैयार किया है, यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) कानूनी सेवा संस्थानों को आधार बनाकर अंतर-संस्था सहयोग को मजबूत करता है, एवं बाल विवाह से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा एवं तंत्र का निर्माण करता है।

⁶ Sandeep Chachra & Ghasiram Panda Ending Child Marriage in India- Reflections on the Recent Supreme Court Judgement <https://www.actionaidindia.org/ending-child-marriage-in-india-reflections-on-the-recent-supreme-court-judgement/> (Last accessed 20.12.2024).

⁷ Ibid

⁸ 2017 INSC 1030),

⁹ 2024 INSC 790

8. इसलिए, एक संरचित मानक संचालन प्रक्रिया बाल विवाह को रोकने, बच्चे के अधिकारों की रक्षा करने और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, समान, कुशल और कानूनी रूप से सुदृढ़ प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह हितधारकों के बीच जवाबदेही और समन्वय को बढ़ावा देता है, साथ ही यह कानूनों के प्रभावी क्रियान्वन को सक्षम करता है एवं प्रभावित व्यक्तियों की मदद सुनिश्चित करता है।

1. मानक संचालन प्रक्रिया के उद्देश्य

- 1.1. इस मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य, 2006 के बाल विवाह निषेध अधिनियम के कानूनी ढांचे और जुवेनाइल जस्टिस (देखभाल और संरक्षण के बच्चों), अधिनियम, 2015 के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- 1.2. इसका उद्देश्य, संवेदनशील समूहों को सशक्त बनाने और लड़कियों, लड़कों, माता-पिता, अभिभावकों और सभी हितधारकों (Stakeholders) को ज्ञान और संसाधनों के साथ बाल विवाह के लिए, सामाजिक और पारिवारिक दबाव का सामना करने के लिए सशक्त बनाना है।
- 1.3. बाल विवाह को खत्म करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सहित, एक वैकल्पिक रणनीति को बढ़ावा देना इस मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य है।
- 1.4. इसका उद्देश्य, एक संस्थागत ढांचा बनाना एवं सरकारी और गैर-सरकारी निकायों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, और समान विचारधारा वाले लोगों और संस्थानों के लिए एक मंच बनाना भी इसका लक्ष्य है।
- 1.5. इसका उद्देश्य बाल विवाह के मुद्दे से निपटने के लिए हितधारकों (Stakeholders) की मदद से सक्रिय उपायों एवं बहुमुखी दृष्टिकोण की शुरुआत करना है।
- 1.6. इसका उद्देश्य बाल विवाह पीड़ितों, के लिए पुनर्वास के कदम उठाना है।

2. परिभाषा

- 2.1. “बालक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
- 2.2. “बाल- विवाह” से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है।
- 2.3. विवाह के संबंध में “बंधन में आने वाले पक्षकार” से पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है।
- 2.4. बाल विवाह निषेध अधिकारी “में बाल विवाह निषेध अधिकारी शामिल हैं, जो बाल विवाह अधिनियम 2006 के निषेध की धारा 16 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त किया गया है।
- 2.5. बाल कल्याण समिति-राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के सम्बन्ध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का, ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की, अधिसूचना की तारीख से दो मास के भीतर व्यवस्था की जाए।
- 2.6. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी-प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उपनिरीक्षक से अन्यून पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण और स्थिति ज्ञान हो, पुलिस स्वैच्छिक और गैर-सामाजिक संगठनों के समन्वय से अनन्य रूप से बालकों पर या तो पीड़ितों और अपराधियों के रूप में कार्रवाई करने के लिए, कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।
- 2.7. जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में, जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय, और किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ कुटुंब न्यायालय नहीं हैं, किन्तु कोई नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है वहां न्यायालय किसी अन्य क्षेत्र में, आरंभिक आधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय उसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलों के संबंध में आधिकारिता है, जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है।

- 2.8. अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है।
- 2.9. किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण बच्चों की देखभाल) अधिनियम, 2015 में जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता न हो,
 - (14) "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता बाला बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है।
 - (xii) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम (जिसके ऊपर बाल विवाह का खतरा हो) (imminent need) है और जिसके माता पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षक, और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की सम्भावना है।¹⁰
3. बाल विवाह का पीड़ित कोई भी व्यक्ति है जो शादी की उम्र से पहले या उस व्यक्ति की शादी से पहले शादी करने के लिए मजबूर किया गया है या जिस व्यक्ति की शादी हो चुकी है और जिस व्यक्ति की शादी का प्रयास किया जा सकता है।
4. आशा (जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई) इकाई। (ASHA Unit)
 - 4.1. चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इस मानक संचालन प्रक्रिया के उद्घाटन करने के एक महीने के भीतर, एक विशेष इकाई का गठन करेंगे, जिसे आशा (जागरूकता, समर्थन, सहायता और एक्शन) इकाई कहा जाएगा : इनमें निम्न सदस्य होंगे:
 - अ. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 - आ. जिला स्तर पर परिवार न्यायालय के प्रभारी न्यायिक अधिकारी,
 - इ. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) इकाई के सचिव के रूप में होंगे,
 - ई. तहसील विधिक सेवा समिति (TLSC) के पदेन अध्यक्ष, सदस्य के रूप में,
 - उ. जिले के मुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता,
 - ऊ. दो पैनल अधिवक्ता, जिन्हें अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा
 - ऋ. चार पैरा लीगल वॉलंटियर, जिन्हें अध्यक्ष, DLSA द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा

¹⁰ Section 2 (14) (xii) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

4.2. आशा इकाई में निम्नलिखित सदस्यों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा नामित किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं:

- अ. जिला अधिकारी या उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) के पद से नीचे नहीं हों,
- आ. जिला शिक्षा अधिकारी,
- इ. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO),
- ई. विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU),
- उ. जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO),
- ऊ. मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (CDMO) या कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी जो निवासी चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे नहीं हो,
- ऋ. पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा नामित एक अधिकारी जो उप-संभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) या सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के पद से नीचे नहीं हो,
- ल. बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO)।

4.3. यदि, असाधारण परिस्थितियों के कारण, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (DLSA), निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सदस्यों की निर्धारित संख्या के साथ, आशा (ASHA) इकाई का गठन करने में असमर्थ होते हैं, तो अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) को पूर्व सूचना के साथ, वैकल्पिक सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं।

5. पैनल वकीलों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के लिए दिशानिर्देश

5.1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अध्यक्ष, प्रत्येक तालुक में दो पैनल वकीलों की नियुक्ति करेंगे। इनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए, ताकि बाल विवाह की पीड़िताओं, उनके परिवारों और संबंधित हितधारकों (Stakeholders) को विधिक सहायता प्रदान की जा सके।

- 5.2. बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर, पैनल वकील और पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLVs) शिकायतकर्ता की पूर्व सहमति से, उसे संरक्षण आदेश, प्रतिबंध आदेश, बाल विवाह के विरुद्ध निषेधाज्ञा, या अन्य सहायक अथवा संबंधित आदेश प्राप्त करने में सहायता करेंगे। यह सहायता बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 या वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य विधिक प्रावधान के तहत प्रदान की जाएगी।
- 5.3. यदि बाल विवाह की पीड़िता गर्भवती हो, और वह गर्भपात कराना चाहती हो, तो पैनल वकील, विशेषतः महिला वकील, और यदि पीड़िता के पास कोई कानूनी प्रतिनिधि न हो, तो उस परिस्थिति में, पीड़िता की पूर्व लिखित सहमति के साथ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) पीड़िता को सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करने में सहायता करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान, पैनल वकील को पीड़िता की गोपनीयता और निजता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- 5.4. आशा इकाई (ASHA Unit) बाल विवाह की पीड़िता को गर्भपात/गर्भावस्था समाप्ति से संबंधित मामलों में, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए तथा वर्तमान में लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हुए सहायता प्रदान करेगी।
- 5.5. आशा इकाई (ASHA Unit) आवश्यकतानुसार और परिस्थितियों के आधार पर, बाल विवाह से जन्मे 3 वर्ष से अधिक के आयु के बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सरकारी नियुक्त बाल परामर्शदाता (Child Counsellor) नियुक्त करेगी जो, बच्चे को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यदि कोई सरकारी नियुक्त बाल परामर्शदाता उपलब्ध नहीं है, तो आशा इकाई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical Officer) और बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer) के समन्वय में, एक निजी बाल परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। निजी परामर्शदाता का पारिश्रमिक आशा इकाई द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- 5.6. यदि बाल विवाह की पीड़िता को उसके परिवार या समुदाय से किसी प्रकार का खतरा हो, तो पैनल वकील और पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLVs), बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer) और बाल कल्याण समिति (CWC) के समन्वय में, उसे आश्रय गृह (shelter home) में सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे।

- 5.7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अध्यक्ष, बाल विवाह पीड़िताओं और उनके परिवारों को कानूनी परामर्श प्रदान करने के लिए दो वकीलों की नियुक्ति करेंगे। ये वकील बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित कानूनों, और प्रक्रियाओं की जानकारी देने में सहायता करेंगे, ताकि पीड़ित और उनके परिवार अपने अधिकारों और कानूनी उपायों को बेहतर तरीके से समझ सकें।
- 5.8. आशा इकाई (ASHA Unit) बाल विवाह पीड़िताओं की पहचान कर उन्हें परिवारिक पालन-पोषण (Family Foster Care) में रखने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya)¹¹ के तहत संचालित किया जाता है।

6. बाल विवाह की रोकथाम

- 6.1. आशा इकाई (ASHA Unit) यह सुनिश्चित करेगी कि बाल विवाह से संबंधित शिकायतें तुरंत बाल विवाह निषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer), पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police-SP), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव, और संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical Officer & CMO) को भेजी जाएं और त्वरित रूप से प्रक्रिया में लाई जाएं।
- 6.2. आशा इकाई (ASHA Unit) प्रत्येक वर्ष बाल विवाह से संबंधित मामलों और प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का एक वार्षिक डेटा बेस संकलित करेगी। यह डेटा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (Bal Vivah Mukh Bharat Portal) पर इसका एक्सेस मिलने के उपरांत अपलोड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सूचना देने वाले व्यक्ति (informant) की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, एवं उसकी गोपनीयता (confidentiality) पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी।
- 6.3. आशा इकाई (ASHA Unit) प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक हस्तक्षेप योजना (Annual Intervention Plan) तैयार करेगी, ताकि बाल विवाह के मामलों के प्रभावी और लक्षित निवारण (targeted redressal) को सुनिश्चित किया जा सके और वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उचित क्रियान्वयन एवं प्रभावी ढंग से इसे लागू किया जा सके।

¹¹ See Clause 4 of the Model Foster Care Guidelines 2024 (<https://cara.wcd.gov.in/pdf/MODEL%20FOSTER CARE%20GUIDELINES,%202024.pdf>)

- 6.4. आशा इकाई (ASHA Unit) सभी सरकारी अधिकारियों को यह सूचना प्रेषित करेगी कि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही, तुरंत संबंधित पुलिस थाना को सूचित करें, ताकि बच्चे को बचाया (rescue) जा सके और पुनर्वास (rehabilitation) की उचित व्यवस्था की जा सके।
- 6.5. आशा इकाई (ASHA Unit) निम्नलिखित हेल्पलाइन और पोर्टल के बारे में जागरूकता (Awareness) फैलाएगी। (i) हेल्पलाइन नंबर – 1098: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित, जो बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन सहायता के लिए उपलब्ध है। (ii) बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (Bal Vivah Mukht Bharat Portal): बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पोर्टल। (iii) हेल्पलाइन नंबर – 15100: कानूनी सहायता (Legal Services Assistance) प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का टोल-फ्री हेल्पलाइन।
- 6.6. आशा इकाई (ASHA Unit), पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (PLVs), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के कार्यकर्ताओं, और अन्य स्वयंसेवकों (यदि कोई हों तब) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programs) आयोजित करेगी। यह प्रशिक्षण, विशेष अभियान (Special Drives) और जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Programs) संचालित करने के उद्देश्य से होगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बाल विवाह की घटनाएं अधिक संख्या में रिपोर्ट की जाती हैं।
- 6.7. आशा इकाई (ASHA Unit), प्रत्येक गांव में एक पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLV) की नियुक्ति/पहचान करेगी और उन्हें प्रशिक्षित करेगी, ताकि वे बाल विवाह के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और सतर्क निगरानी रखने का कार्य कर सकें। पैरा-लीगल स्वयंसेवक (PLVs) ग्राम प्रधान/सरपंच/ग्राम सेवक के समन्वय में, गांव में होने वाले या संभावित बाल विवाहों पर सूझबूझपूर्ण निगरानी (intelligent check) रखेंगे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता (Complainant)/ सूचना देने वाले (Informant) और पीड़िता (Victim) की गोपनीयता (Confidentiality) को पूर्ण रूप से बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- 6.8. बाल विवाह के मामले में, जैसे ही पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (PLV) को सूचना प्राप्त होती है, वे तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव, बाल कल्याण समिति (CWC), संबंधित पुलिस थाना के स्टेशन हाउस अधिकारी, (SHO) को सूचित करेंगे, ताकि बाल विवाह को रोका जा सके और बच्चे को बचाया जा सके।

- 6.9. आशा इकाई (ASHA Unit) कानून के छात्र, विधि संकाय के प्रोफेसर, और सामाजिक विषयों के छात्र (जैसे मास्टर इन सोशल वर्क – MSW) को अपने कार्यक्रमों में शामिल करेगी, ताकि वे जागरूकता शिविर (Awareness Camps) आयोजित करने में सहयोग कर सकें। उच्च बाल विवाह दर वाले क्षेत्रों में प्रत्येक माह जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। मध्यम स्तर के बाल विवाह मामलों वाले क्षेत्रों में प्रति तिमाही (Quarterly) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कानून के छात्र (Law Students) समुदाय तक पहुंचने (Community Outreach) और जागरूकता अभियानों (Awareness Works) में पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (PLVs) की सहायता करेंगे।
- 6.10. आशा इकाई (ASHA Unit), स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता शिविरों का संचालन करेगी। आशा इकाई अपने संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर एक स्कूल या कॉलेज में प्रति माह कम से कम एक जागरूकता शिविर आयोजित करेगी।
- 6.11. आशा इकाई (ASHA Unit), स्थानीय रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रचलित सामाजिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा कार्यक्रम (Education Program) तैयार करेगी, जिससे आम जनता को बाल विवाह के दुष्प्रभावों और कानूनी प्रतिबंधों के बारे में शिक्षित किया जा सके।
- 6.12. आशा यूनिट (ASHA Unit), स्थानीय रेडियो, दूरदर्शन चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, प्रिंट और डिजिटल मीडिया, और नुक्कड़ नाटक (स्ट्रीट प्ले) के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि बाल विवाह के हानिकारक प्रभाव पर जनता को शिक्षित किया जा सके। इन कार्यक्रमों को बाल विवाह के विशेषज्ञों द्वारा चलाया जाएगा जिसमें वकील, परामर्शदाता, (Counsellor), मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और स्थानीय कलाकार शामिल हैं।
- 6.13. आशा इकाई (ASHA Unit), “बाल विवाह मुक्त गांव” (Child Marriage&Free Village) पहल को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहेगी और इसके लिए लक्षित कार्यक्रमों (Targeted Programs) का आयोजन करेगी। यह कार्यक्रम जिला बाल संरक्षण अधिकारी (District Child Protection Officer), सरपंच (स्थानीय निकाय), और विधि महाविद्यालयों (Law Colleges) के समन्वय से संचालित किए जाएंगे।
- 6.14. आशा इकाई (ASHA Unit), नियमित रूप से उन स्थानों का निरीक्षण करेगी, जहां आमतौर पर बाल विवाह संपन्न कराए जाते हैं।

- 6.15. शोध से पता चलता है कि, शिक्षा और जागरूकता में निवेश करने से बाल विवाह के मामलों में कमी आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, आशा इकाई (ASHA Unit) यह सुनिश्चित करेगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख योजना “मिशन वात्सल्य” (Mission Vatsalya) के अंतर्गत उपलब्ध लाभ और अलग अलग विभागों के अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी बाल विवाह पीड़ितों तक पहुंचाई जाए। बाल विवाह से प्रभावित पीड़ितों के लिए एवं महिलाओं के लिए मौजूद, कल्याणकारी योजनाओं (Beneficiary Schemes) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि पीड़ित लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
- 6.16. “सोसाइटी ऑफ इनलाइटेनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एवं अन्य बनाम भारत संघ” के मामले में दिए गए निर्णय की भावना को आगे बढ़ाते हुए, आशा इकाई (ASHA Unit), बाल विवाह की रोकथाम और पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

7. पुनर्वास

- 7.1. पुनर्वास (Rehabilitation) के उद्देश्य से निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जा सकता है:
- 7.2. आशा इकाई (ASHA Unit), सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, (Government Schools) और जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) के सहयोग से मासिक बाल परामर्श (Monthly Child Counselling) सत्र आयोजित करेगी।
- 7.3. आशा इकाई (ASHA Unit), दो परामर्शदाताओं (Counsellors) की नियुक्ति करेगी, जो परामर्श सत्र (Counseling Sessions) का संचालन करेंगे। ये परामर्शदाता (Counsellor) सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, समूह थेरेपी (Group Therapy) भी प्रदान करेंगे।
- 7.4. आशा इकाई (ASHA Unit), बाल विवाह के मानसिक प्रभाव (ट्रौमा) से पीड़ितों को बाहर लाना सुनिश्चित करने में परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने और शामिल करके पारिवारिक थेरेपी का संचालन करने के लिए एक परामर्शदाता (Counsellor) नियुक्त करेगी।

- 7.5. एक चिकित्सा विशेषज्ञ (medical expert) और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता (Psychological Counsellor) के मार्गदर्शन के साथ, प्रेरक साक्षात्कार एवं कैरियर थेरापिस्ट और बाल मनोवैज्ञानिक की मदद से बाल विवाह पीड़ितों को उसके मानसिक स्वस्थ पर हुए दुष्प्रभाव से बाहर निकलने में मदद करता है।
- 7.6. आशा इकाई, रचनात्मक कार्यक्रमों में बाल विवाह के पीड़ितों की , भागीदारी सुनिश्चित करके महीने में एक बार रचनात्मक अभिव्यक्ति और विश्राम को बढ़ावा देने के लिए कला, संगीत या मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करेगी।
- 7.7. आशा यूनिट, नियमित रूप से बाल विवाह पीड़ितों को अपनी चिंताओं का निवारण करने के लिए जिले में एक निगरानी और मेंटरशिप निकाय (Monitoring and Mentorship body) बनाएगी। इस निकाय में डीएलएसए सचिव, (DLSA Secretary) बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ), बाल कल्याण समिति के सदस्य, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविदों और व्यावसायिक प्रशिक्षक शामिल होंगे, जो बाल विवाह के पीड़ितों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे एवं आवश्यक कौशल प्रदान करेंगे।
- 7.8. इस निगरानी और मेंटरशिप निकाय (Monitoring and Mentorship body) के सदस्यों की नियुक्ति आशा इकाई (ASHA Unit) करेगी।
- 7.9. अन्य चीजों के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण में, कालीन बनाना, कढ़ाई, सिलाई, सिलाई, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, ब्यूटीशियन पाठ्यक्रम, आदि और अन्य पाठ्यक्रम शामिल होंगे जो बाल विवाह के पीड़ितों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। पाठ्यक्रम ऐसी प्रकृति में हो, जो बाद में रोजगार प्रदान कर सके।
- 7.10. आशा इकाई और मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग निकाय, 16 साल से ऊपर बाल विवाह के पीड़ितों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास के तहत मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
- 7.11. महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, मेंटरशिप और मॉनिटरिंग निकाय, (Mentorship and Monitoring Body) क्षेत्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ एवं महिलाओं के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग (Collaborate) करेगा। यह इकाई यह भी सुनिश्चित करेगी कि बाल विवाह पीड़ितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएँ, एवं उन्हें कौशल विकास केंद्रों, प्रशिक्षुता कार्यक्रमों और सरकार द्वारा समर्थित रोजगार योजनाओं के साथ जोड़ा जाएँ।

- 7.12. आशा इकाई और मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग निकाय (Mentorship and Monitoring Body), आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बाल विवाह के शिकार पीड़ितों की उद्यमशीलता और व्यक्तिगत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट-मुक्त ऋण प्रदान (Preferably to provide credit free loan) करने के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ सहयोग करेगा।
- 7.13. आशा यूनिट (ASHA unit) एवं मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग बॉडी (Mentorship and Monitoring Body) शिक्षा को प्रोत्साहित करने और वित्तीय प्रोत्साहन योजनाओं एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के साथ लड़कियों को जोड़ने का काम करेगी।
- 7.14. आशा इकाई, बाल विवाह के पीड़ितों एवं बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों के शैक्षिक आवश्यकताओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्तीय सहायता के लिए दी जाने वाली धनराशि और इस तरह की मदद की आवृत्ति (frequency) संबंधित एसएलएसए (SLSA) से पूर्व अनुमति के साथ, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय की जा सकती है। आशा यूनिट, जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से, बाल विवाह के पीड़ितों या बाल विवाह से बच निकले या/विवाह निरस्त करके निकले पीड़ितों को छात्रवृत्ति या मासिक वजीफा/स्कालरशिप (stipend) देने की संभावना पर विचार करेगी।
- 7.15. आशा इकाई (ASHA Unit), बाल विवाह के पीड़ितों के विभिन्न सहयोग के जरूरतों का आकलन करने के लिए, प्रत्येक महीने के अंत में मासिक बैठकें करेगी और, उस महीने के भीतर बाल विवाह के मामलों पर किए गए पुनर्वास और कार्रवाई की निगरानी करेगी।
- 7.16. इन बैठकों के मिनटों को रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए दर्ज किया जाएगा।
8. अनुपालन तंत्र एवं मानक संचालन प्रक्रिया के प्रभाव के मूल्यांकन
 - 8.1. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) बाल विवाह के पीड़ितों को संबंधित राज्य में, आशा (ASHA) इकाइयों द्वारा प्रदान की गई कानूनी सेवाओं, सहायता और समर्थन का आकलन करेंगे।
 - 8.2. आशा इकाई निम्नलिखित प्रारूप में एक रिकॉर्ड बनाए रखेगी:
 - 8.2.1. आशा यूनिट का नाम :

8.2.2.कानूनी सेवा

पहचान की गयी पीड़ितों की संख्या/या कानूनी सेवा के लिए संपर्क करने वाली पीड़ितों की संख्या।	पीड़ितों की संख्या जिन्हें आशा इकाई द्वारा सहायता/मदद की गई थी।	मदद के प्रकार/प्रदान की गयी सहायता के प्रकार

8.2.3.पुनर्वास

परामर्श (Counselling) प्रदान किये गए पीड़ितों की संख्या।	व्यावसायिक या कौशल प्रशिक्षण प्रदान की गयी पीड़ितों की संख्या।	पीड़ितों को प्रदान किये गए प्रशिक्षण के प्रकार/क्या यह व्यावसायिक प्रशिक्षण था या/नियमित प्रशिक्षण है।	पीड़ितों को संख्या जिन्हें सुरक्षित स्थान/ बचाव केंद्र मुहैया किये गए थे	उन पीड़ितों की संख्या जो स्कूल से किसी कारणवश बाहर हो गए हों (dropped out)/ जिन्हें बाद में आशा इकाई के हस्तक्षेप से दाखिला कराया गया।
--	--	--	--	--

8.2.4.जागरुकता कार्यक्रम

आयोजित की गयी जागरुकता शिविरों की संख्या	स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों/धार्मिक संस्थानों में आयोजित जागरुकता शिविरों की संख्या।	रेडियो/टेलीविजन और अन्य डिजिटल साधनों के माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों की संख्या।	आयोजित विशेष ड्राइव (Special drives) की संख्या।
--	---	--	---

- 8.3. आशा इकाई, अपने संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को (SLSAs) अर्ध-वार्षिक रिकॉर्ड जमा करेगी।
- 8.4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA), आशा इकाई (ASHA Unit) से डेटा प्राप्त करने के बाद, ऊपर दिए गए प्रारूप में हर साल के अंत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) को रिपोर्ट जमा करेगा।
- 8.5. इस मानक संचालन प्रक्रिया, (एसओपी) को लागू करने के लिए किए जाने वाले सभी व्यय को संबंधित एसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष, की मंजूरी के बाद सहायता निधि – अनुदान से वहन किया जाएगा (grants in aid funds)।
- 8.6. आशा यूनिट (ASHA Unit), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के परामर्श में एवं उन्हें सूचना देकर, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्यात्मक (functional) बनाने के लिए विभिन्न इकाइयों के सदस्यों के मानदेय को निश्चित कर सकती है।
- 8.7. आशा यूनिट (ASHA Unit), निर्दिष्ट राज्य सरकार की दरों के अनुसार, पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (PLVS) और अन्य सदस्यों को यात्रा और अन्य विविध खर्चों के लिए आवश्यकता अनुसार, भत्ते प्रदान करेगी।

“बाल विवाह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह एक ऐसी प्रथा है जो लाखों लड़कियों से उनका बचपन, शिक्षा और अवसर छीन लेती है।”

डेसमंड टुटू
दक्षिण अफ्रीकी मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता

“जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं, तो आप एक परिवार, एक समुदाय और एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। बाल विवाह लड़कियों से यह अवसर छीन लेता है।”

कोफी अन्नान
(संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव)

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

[illegible]